

प्रेषक,

लीना जौहरी,

सचिव एवं राहत आयुक्त.

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी

सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 04 नवम्बर, 2014

विषय वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सहारनपुर में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-177/1-10-2014-12(36)/13 दिनांक 04.03.2014 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित सिंचाई विभाग के उत्तरी गंगा नहर रुड़की के 15 कार्यों की मरम्मत हेतु प्रथम किस्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि रू० 1,45,72,500/- आवंटित की गयी थी। अब आपके पत्र संख्या-571/सी०आर०एफ०/दैवी आपदा लिपिक/2014-15, दिनांक 04-08-2014 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये उक्त कार्य हेतु अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रू० 4,37,17,500/- (कुल रूपये चार करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार पाँच सौ मात्र) द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	अधि० अभि०, उत्तरी गंगा नहर, रुड़की के कार्य	आगणन की धनराशि (लाख रू० में)	द्वितीय किस्त के रूप में आवंटित धनराशि 75 प्रतिशत (लाख रू० में)
1	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के हैड से डाउनस्ट्रीम में दांये किनारे पर चैनल के क्षतिग्रस्त स्लोप टो एवं स्लोप की पिचिंग की पुनर्स्थापना का कार्य	38.00	28.5
2	जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के अपस्ट्रीम में स्थित दांये एफलक्स बन्ध पर बने स्पर नं०-1 एवं इसके 25 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में बन्धों की पुनर्स्थापना का कार्य	39.44	29.58
3	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं०-4 की पुनर्स्थापना का कार्य	39.60	29.7
4	भीमगौड़ा बैराज के गेट नं० 6 से 11 के सामने डाउनस्ट्रीम में क्षतिग्रस्त एप्रेन में सी०सी० ब्लाक्स की पुनर्स्थापना का कार्य	38.56	28.92
5	जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के अपस्ट्रीम में स्थित दांये एफलक्स बन्ध पर बने स्पर नं०-2 एवं इसके 25 मीटर अपस्ट्रीम	38.60	28.95

	एवं डाउनस्ट्रीम में बन्धों की पुनर्स्थापना का कार्य		
6	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं0-1 की पुनर्स्थापना का कार्य	38.70	29.025
7	जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के अपस्ट्रीम में स्थित दायाँ एफलक्स बन्ध पर बने स्पर नं0-3 एवं इसके 25 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में बन्धों की पुनर्स्थापना का कार्य	39.19	29.3925
8	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं0-2 की पुनर्स्थापना का कार्य	35.50	26.625
9	जनपद हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर के किमी0 2.200 पर स्थित सिल्ट इजेक्टर की टेलफाल एवं क्षतिग्रस्त भाग के सुरक्षात्मक कार्य की पुनर्स्थापना का कार्य	36.81	27.6075
10	जनपद हरिद्वार में रतमऊनदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण धनौरी लेबिल कांसिंग के अपस्ट्रीम में रतमऊ नदी के दायाँ किनारे पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्पर नं0-1 व 1 बी की पुनर्स्थापना का कार्य	49.94	37.455
11	जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के अपस्ट्रीम में स्थित दायाँ एफलक्स बन्ध पर बने स्पर नं0-5 एवं इसके 25 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में बन्धों की पुनर्स्थापना का कार्य	37.84	28.38
12	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं0-3 की लाचिंग एप्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य	38.00	28.5
13	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण कनखल स्पर के क्षतिग्रस्त लाचिंग एप्रेन की अपस्ट्रीम साईड में एप्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य	39.80	29.85
14	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण बेलवाला बन्ध के स्पर नं0-5 की लाचिंग एप्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य	39.92	29.94
15	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अत्यधिक बाढ़ के कारण पुरानी आपूर्ति धारा के हैड से डाउनस्ट्रीम में बायाँ किनारे पर चैनल के क्षतिग्रस्त स्लोप टो एवं स्लोप की पिचिंग की पुनर्स्थापना का कार्य	33.00	24.75
	योग	582.90	437.175

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/12, दिनांक 25.10.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार

सूख्य-यू0आ0-2 1-10-2014-सा-1 दिनांक 04.01.2015 में दिए गए दिश-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा निर्वाकृत धनराशि में स यदि कोई वचन अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभाग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तिकांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भयदीया,
(सीना जीहरी)

739

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या: (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 7- उप निदेशक सामान्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सहारनपुर।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मदन मोहन)
अनु सचिव।